14/5/18 से लोक अदालत के अंकन से वादी प्रतिवादी
[illegible] [illegible] व पुत्र बार कोर्ट वादी बयान अंकन
पक्षों (किया) वादी प्रतिवादी के बयान
का अंकन किया एवं पत्रावली का अवलोकन
किया गया। वादी प्रतिवादी ने अपने
बयान में राजीनामा अनुसार वाद की डिक्री
किये जाने का निवेदन किया। वाद बयान
वादीगण का वाद [illegible] राजीनामा डिक्री
किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद राजीनामा
अनुसार डिक्री किया जाकर निर्णीत
किया जाता है। [illegible] [illegible] राजीनामा के
[illegible] जाकर शामिल पत्रावली हो। पक्षों
डिक्री बनाई हो। पत्रावली नियमानुसार
दाखिल दफ्तर की जावे।

सं०

सहायक [illegible]
([illegible])

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर–2017

अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गुढाबैरसल, तहसील मौजमाबाद

शिविर प्रभारी अधिकारी– **श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 79/2011 पुनः दर्ज 441/2013

वाद दायरी दिनांक : 18/03/2011

निर्णय दिनांक : 14/06/2017

1. कालूराम उम्र 53 वर्ष पुत्र स्व0 लालाराम जाति कुमावत निवासी गुढावैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. कानाराम उम्र 51 वर्ष पुत्र स्व0 लालाराम जाति कुमावत निवासी गुढावैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
3. शंकर लाल उम्र 49 वर्ष पुत्र स्व0 लालाराम जाति कुमावत निवासी गुढावैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
4. भंवर लाल उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व0 लालाराम जाति कुमावत निवासी गुढावैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
5. बनवारी लाल उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व0 लालाराम जाति कुमावत निवासी गुढावैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
6. तीजादेवी उम्र 71 वर्ष पत्नि स्व0 लालाराम जाति कुमावत निवासी गुढावैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
7. जडाव उम्र 55 वर्ष पुत्री स्व0 लालाराम जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
8. धन्ना उम्र 36 वर्ष पुत्री स्व0 लालाराम जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
9. सन्तोष उम्र 38 वर्ष पुत्री स्व0 लालाराम जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
10. सुमित्रा उम्र 38 वर्ष पुत्री स्व0 लालाराम जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
11. छगनलाल उम्र 75 वर्ष पुत्र स्व0 गणेश जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 (फौत)

    11/1 श्रीमती कोयलीदेवी पत्नी स्व0 छगनलाल,

    11/2 मोहनलाल पुत्र स्व0 छगनलाल

    11/3 सोहनलाल पुत्र स्व0 छगनलाल

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

11/4 संतोष कुमार पुत्र स्व0 छगनलाल

11/5 मनोहरलाल पुत्र स्व0 छगनलाल

11/6 विजयलाल पुत्र स्व0 छगनलाल

समस्त जाति कुमावत, निवासीगण गुढाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

11/7 श्रवणलाल पुत्र स्व0 छगनलाल, जाति कुमावत, निवासी गुढाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

11/8 विमलादेवी पुत्री स्व0 स्व0 छगनलाल, पत्नी केसरलाल जाति कुमावत, निवासी गुढाबैरसल, हाल निवासी हिरनोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज0।

11/9 कंचन देवी पुत्री स्व0 स्व0 छगनलाल, पत्नी मानमल जाति कुमावत, निवासी गुढाबैरसल, हाल निवासी रामनगर, सोडाला जयपुर, जिला जयपुर राज0।

12. मेघराज उम्र 68 वर्ष पुत्र स्व0 गणेश जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

13. हनुमान सहाय उम्र 68 वर्ष पुत्र स्व0 नोन्दा जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

14. गोपाललाल उम्र 56 वर्ष पुत्र स्व0 नोन्दा जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

15. मदनलाल उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व0 नोन्दा जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

16. बाबूलाल उम्र 47 वर्ष पुत्र स्व0 नोन्दा जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

17. प्रेम उम्र 63 वर्ष पुत्र स्व0 नोन्दा जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

18. सावत्री उम्र 61 वर्ष पुत्र स्व0 नोन्दा जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 (फौत)

18/1 महेश कुमार पुत्र रामधन (स्व0 सावित्री देवी) जाति कुमावत, निवासी राबडो का बास तन मण्डाभीमसिंह तहसील किशनगढ, रेनवाल जिला जयपुर।

18/2 सुरेश कुमार पुत्र रामधन (स्व0 सावित्री देवी) जाति कुमावत, निवासी

(कम्प्यूटर ऑपरेटर) कम्प्यूटर (फास्ट ट्रैक) दूदू

Scanned by CamScanner

राबडो का बास तन मण्डामीमसिंह तहसील किशनगढ, रेनवाल जिला जयपुर।

18/3 अनिता पुत्री रामधन (स्व0 सावित्री देवी) जाति कुमावत, धर्मपत्नी चिरंजीलाल निवासी खेडीराम तहसील सांभरलेक जिला जयपुर।

18/4 पुष्पादेवी पुत्री रामधन (स्व0 सावित्री देवी) जाति कुमावत, धर्मपत्नी भैरुराम निवासी खेडीराम तहसील सांभरलेक जिला जयपुर।

18/5 संतोष पुत्री रामधन (स्व0 सावित्री देवी) जाति कुमावत, धर्मपत्नी भागचन्द निवासी नावां थाना नावां जिला नागौर राज0।

18/6 बबली पुत्री रामधन (स्व0 सावित्री देवी) जाति कुमावत, धर्मपत्नी राजेन्द्र निवासी जोबनेर तहसील सांभरलेक जिला जयपुर।

19. रुकमा उम्र 53 वर्ष पुत्र स्व0 नोन्दा जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

20. किशन लाल उम्र 81 वर्ष पुत्र स्व0 मौमाराम जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

— वादीगण

बनाम

1. संतोष कुमार पुत्र छिगनलाल, उम्र 49 साल, जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. सोहनलाल पुत्र छिगनलाल, उम्र 49 साल, जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
3. विमल कुमार उर्फ भंवरलाल पुत्र मेघराज, जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0। (आदेश दिनांक 14/06/2017 से लाल स्याही का अंकन किया गया)
4. नानूराम पुत्र सुखा, जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

   4/1 श्रीमती सरजू पत्नी नानूराम जाति कुमावत, निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

   4/2 रामविलास पुत्र स्व0 नानूराम, जाति कुमावत, निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

   4/3 अशोक कुमार पुत्र स्व0 नानूराम जाति कुमावत, निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

4/4 रामअवतार पुत्र स्व0 नानूराम, जाति कुमावत, निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

4/5 कृष्णअवतार पुत्र स्व0 नानूराम, जाति कुमावत, निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

5. राधेश्याम पुत्र स्व0 मांगीलाल, जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

6. रामेश्वर पुत्र स्व0 मांगीलाल, जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

7. बंशीलाल पुत्र स्व0 मांगीलाल जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

8. जगदीश प्रसाद उम्र 49 वर्ष पुत्र स्व0 मांगीलाल जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

9. गीता देवी उम्र 66 वर्ष पुत्री स्व0 मांगीलाल जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

10. हीरा देवी उम्र 81 वर्ष धर्मपत्नि स्व0 मांगीलाल जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

11. कल्याण पुत्र बलदेव, जाति कुमावत निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

12. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – **श्री पन्नालाल चौधरी**
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री भंवरलाल जैन
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11
प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

निर्णय दिनांक 14/06/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 308 लगायत 316, 318, 320 लगायत 329 कुल किता 20 कुल रकबा 10.2400 हैक्टेयर व साबिक आराजी खसरा नम्बर 87, 88,

Scanned by CamScanner

94, 88 मि., 89 मि., 89 मि., 88, 89, 88 मि., 92, 91, 90, 91, 90, 91 मि., 91 मि., 91 मि., 91मि., 90मि., 90मि., 90मि., 90मि., 90मि., वाके ग्राम गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 11 व मोतीराम, महादेव पि. रामदयाल की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात जिसमें अभी वादीगण 1 से 12 का 1/4 वादीगण 13 से 20 का 1/4 हिस्सा है, प्रतिवादीगण 1 से 3 का 1/4 हिस्सा, तथा प्रतिवादीगण 4 से 10 का 1/4 हिस्सा है और मौके पर इसी प्रकार काबिज है तथा हिस्से अनुसार लगान जमा कराते आ रहे है। उपर्युक्त सजरा अनुसार वक्त पर्चा सैटलमेन्ट पक्षकारान एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य थे जिनकी विवादित आराजी के अलावा और भी पैतृक आराजीयात थी। पक्षकारान का बुजुर्ग गिरधारी था जिसके पांच लडके, रतन, रामदयाल, गणेश , भौमा, सुक्खा हुये, रतन के बलदेव, सुक्खा के मांगीलाल व नानू जायन्दा लडके थे। रतन बलदेव व सुक्खा का स्वर्गवास सम्वत 2011 से पूर्व हो गया था, इसलिये विवादित आराजी के साथ साथ अन्य पैतृक आराजी का पर्चा वरवक्त सैटलमेण्ट रामदयाल, गणैश, भौमा पि0 गिरधारी मांगू पुत्र सुक्खा कल्याण पुत्र बलदेव जाति कुम्हार बहिस्सा बराबर 1/5 का आया और इसी प्रकार स्वय का उनके स्वर्गवास के बाद उनके वारिशान काबिज काश्त रहे। प्रतिवादीगण संख्या 11 कल्याण ने एक वाद उनवानी कल्याण वगै0 बनाम महादेव वगैराह नम्बर 369/92 माननीय न्यायालय में विवादित आराजी के अलावा अन्य पैतृक आराजी का प्रस्तुत किया जो माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारान द्वारा दिनांक 26/7/92 को आपसी राजीनामा के आधार पर दिनांक 25/9/2002 को डिकी किया गया और डिक्री की पालना में कल्याण के कुल आराजीयात में से 1/5 हिस्से की आराजी साबिक खसरा नम्बर 169, 202, 205, 100, 86 हाल खसरा नम्बर 305, 629, से 633, 845, 848, 2203/844, 2209/288, 2211/290, की खातेदारी लगा कर कल्याण की खतौनी संख्या अलग कर दी लेकिन दावा पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी जो पूर्व में खातेदार मोतीलाल, महादेव के द्वारा अपना 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को विकय करने के कारण वादीगण 1 से 12 का 1/4 हिस्से की, वादीगण संख्या 13 से 20 का 1/4 हिस्से की विकय-पत्र दिनांक 12/01/1968 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के 1/8 हिस्से की व प्रतिवादी संख्या 3 के 1/8 हिस्से की तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 10 के 1/4 हिस्सा खातेदारी लगनी चाहिये थी तथा प्रतिवादी संख्या 11 का नाम विवादित आराजी में हजफ होना चाहिये लेकिन हल्का पटवारी ने विवादित आराजी में वादीगण संख्या 1 लगायत 20 का 6/16, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 का 3/16

Scanned by CamScanner

हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 11 का 3/16 हिस्सा दर्शाकर खातेदारी लगा दी जो कतई गलत हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में गलत हिस्सा दर्ज कर खातेदारी ली को सही करवाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण वादीगण को आश्वासन देते रहे तथा टालते रहे दिनांक 08/02/2011 को वादीगण ने विवादित आराजी की हल्का पटवारी से नकल जमाबंदी प्राप्त कर प्रतिवादीगण को गलत दर्ज हिस्से को सही करवाने को का तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इसलिये यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जकार इस्तकरार हक इस अमर का सादिर घोषित फरमाया जावें कि विवादित आराजी वर्णित मद नम्बर 1 पत्र में वादीगण 1 से 12 1/4 हिस्से के, वादीगण 13 से 20 1/4 हिस्से के, प्रतिवादीगण 1 व 2 1/8 हिस्से के, प्रतिवादी संख्या 3 1/8 हिस्से के, प्रतिवादी संख्या 4 से 10 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण संख्या 11 का नाम हजफ करने के आदेश प्रदान करें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजी वर्णित मद नम्बर 1 वाद–पत्र में वादीगण के 2/4 हिरे की आराजी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार कीबेजा मजाहमत नही करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 22/06/2011 को प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 की ओर से श्री भंवरलाल जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री जगदीशप्रसाद एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 11 बावजूद तामिल के उपस्थित नही होने से उसके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

दिनांक 03/08/2011 को प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 की ओर से जवाबदावा मय काऊन्टर क्लेम पेश किया। दिनांक 05/10/2011 को वकील वादी की ओर से जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया गया।

दिनांक 24/08/2016 को प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 05/10/2016 को प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश हुआ।

दिनांक 25/01/2017 को वकील वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3

सहायक कलक्टर (फा.ट्रेक) बूंदी

Scanned by CamScanner

सिविल प्रक्रिया संहिता पेश हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 08/02/2017 को तीनों प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वकील वादी को संशोधित शीर्षक पेश किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 22/02/2017 को वकील वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 08/03/2017 को वादीगण संख्या 1 लगायत 9, 11/1 लगायत 11/9, 12 लगायत 17, 19, 20 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 4/1 लगायत 4/6, 6 लगायत 11 द्वारा स्वंय उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। वादी संख्या 10, 18/1 लगायत 18/6 द्वारा सहमति दी गई।

दिनांक 14/06/2017 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गुढाबैरसल में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 3 विमल कुमार पुत्र मेघराज के स्थान पर विमल कुमार उर्फ भंवरलाल पुत्र भंवरलाल वाद में अंकित किया जावें। प्रार्थना पत्र पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा सहमति दिये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में लाल स्याही से अंकन किया गया। वकील पक्षकारान द्वारा साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात नकल जमाबन्दी संख्या 310 सम्वत 2066 से 2069, नकल मिलान क्षैत्रफल कुल किता 3, नकल जमाबन्दी संख्या 25 सम्वत 2066 से 2069, प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण, फोटो प्रति राजीनामा दिनांक 26/07/1992, फोटो प्रति निर्णय व डिक्री दिनांक 25/09/2002 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक सजरा वक्त पर्चा सैटलमेन्ट पक्षकारान एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य होना एवं विवादित आराजी पैतृक आराजी होना साबित होती है, पक्षकारान का बुजुर्ग गिरधारी था जिसके पांच लडके, रतन, रामदयाल, गणेश, भौमा, सुखा, रतन के बलदेव, सुखा के मांगीलाल व नानू जायन्दा लडके थे। रतन बलदेव व सुखा के साथ अन्य पैतृक आराजी का पर्चा वरवक्त सैटलमेण्ट रामदयाल, गणेश, भौमा पि0 गिरधारी मांगू पुत्र सुखा कल्याण पुत्र बलदेव जाति कुम्हार बहिस्सा बराबर 1/5 का आया और इसी प्रकार स्वंय का उनके स्वर्गवास के

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बूंदी

Scanned by CamScanner

बाद उनके वारिसान काबिज काश्त रहे। फोटो प्रति प्रकरण संख्या 369/1992 के अवलोकन से पाया जाता है कि उनवानी वाद कल्याण वगै0 बनाम महोदव वगै0 नम्बर 369/92 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू में विवादित आराजी के अलावा अन्य पैतृक आराजी का प्रस्तुत किया जो माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारान द्वारा दिनांक 26/7/92 को आपसी राजीनामा के आधार पर दिनांक 25/9/2002 को डिक्री किया गया और डिक्री की पालना में कल्याण के कुल आराजीयात में से 1/5 हिस्से की आराजी साबिक खसरा नम्बर 169, 202, 205, 100, 86 हाल खसरा नम्बर 305, 629, से 633, 845, 848, 2203/844, 2209/288, 2211/290, की खातेदारी लगा कर कल्याण की खतौनी संख्या अलग कर दी लेकिन वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी जो पूर्व में खातेदार मोतीलाल, महादेव के द्वारा अपना 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को विक्रय करने के कारण वादीगण 1 से 12 का 1/4 हिस्से की, प्रतिवादीगण संख्या 13 से 20 का 1/4 हिस्से की विक्रय–पत्र दिनांक 12/01/1968 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के 1/8 हिस्से की व प्रतिवादी संख्या 3 के 1/8 हिस्स की तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 10 के 1/4 हिस्सा खातेदारी लगनी चाहिये थी तथा प्रतिवादी संख्या 11 का नाम विवादित आराजी में हजफ होना चाहिये लेकिन हल्का पटवारी ने विवादित आराजी में वादीगण संख्या 1 लगायत 20 का 6/16, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 का 3/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 11 का 3/16 हिस्सा दर्शाकर खातेदारी लगा दी इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया है तथा डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताई हैं तथा राजीनामा में सभी पक्षकारान का हिस्सा अलग–अलग खसरा नम्बर व रकबा सहित दर्ज कर खातेदारी घोषणा प्रदान किये जाने बाबत सहमति दी हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की कानूनी आपत्ति प्रतीत नही होती हैं।

सहायक कलक्टर (फा0 ट्रै0) दूदू

अतः वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 308 लगायत 316, 318, 320 लगायत 329 कुल किता 20 कुल रकबा 10.2400 हैक्टेयर वाके ग्राम गुढाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर के बाबत निम्न प्रकार से खातेदारी घोषणा प्रदान की जाती है :–

Scanned by CamScanner

विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
वादीगण संख्या 1 लगायत 10 के हिस्से की आराजीयात	310 में से	0.1000 हैक्टेयर
	311	0.1000 हैक्टेयर
	312	0.9700 हैक्टेयर
	313 में से	0.1200 हैक्टेयर
	314	1.0600 हैक्टेयर
	318	0.0600 हैक्टेयर
	320 में से	0.4000 हैक्टेयर

विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
वादीगण संख्या 11/3, 11/4, 11/5 के हिस्से की आराजीयात	313	0.2500 हैक्टेयर

विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
वादीगण 13 लगायत 17, 18/1 लगायत 18/6, 19, 20 के हिस्से की आराजीयात	308	0.5100 हैक्टेयर
	309	1.2100 हैक्टेयर

उपर्युक्त खसरा नम्बरान में वादीगण 13 लगायत 17, 18/1 लगायत 18/6 व 19 का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 20 का 1/2 हिस्सा रहेगा।

विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
वदी संख्या 11/7 के हिस्से की आराजीयात	326	0.0100 हैक्टेयर
	327	0.0800 हैक्टेयर
	328	1.7600 हैक्टेयर

विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से की आराजीयात	310 में से	0.5200 हैक्टेयर
	323	0.4200 हैक्टेयर
	324	0.3000 हैक्टेयर

विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
प्रतिवादीगण 4/1 लगायत 4/5 के हिस्से की आराजीयात	321	0.2900 हैक्टेयर
	322	0.6600 हैक्टेयर
	329	0.6500 हैक्टेयर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 के हिस्से की आराजीयात	320 में से	0.6000 हैक्टेयर

विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
वादी संख्या 1 लगायत 10, वादीगण 13 लगायत 17, 18/1 लगायत 18/6, 19, 20, प्रतिवादी संख्या 3, 4/1 लगायत 4/5 के हिस्से की आराजीयात	316	0.0300 हैक्टेयर

उपर्युक्त खसरा नम्बर में वादी संख्या 1 लगायत 10 का 1/4 हिस्सा, वादीगण 13 लगायत 17, 18/1 लगायत 18/6, 19, 20 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4/1 लगायत 4/5 का 1/4 हिस्सा रहेगा।

विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
पक्षकारान की शामलाती आराजीयात	315	0.0700 हैक्टेयर
	325	0.0700 हैक्टेयर

पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14/06/2017 को कैम्प ग्राम पंचायत गुढाबैरसल में मजमा ए आम में सुनाया गया।

मुद्रा

शिविर प्रभारी, सहायक कलक्टर
दूदू जिला जयपुर राज0।

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31: '62

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू, जिला जयपुर

इजलास श्री त्रिलोकचन्द मीणा, आर.ए.एस.

राम पुत्र स्व० लालाराम जाति बनाम सन्तोष कुमार पुत्र छिगनलाल जाति कुमावत

... नि. गुढाबरखा, दावा बाबत डिक्री कराकर ... नि. गुढाबरखा तहसील ... सन 2012

... वादीगण । तो० 20 मुकदमा नं. 79/2011 पुराना हाल 541/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री पन्नालाल चौधरी

हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रूबरू श्री कपूरलाल जैन

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नं. 308 तादादी 316, 318, 320 तादादी 329 कुल किता 20 कुल रकबा 10.2900 हैक्टेयर वाके ग्राम गुढाबरखा, तह० मौजमाबाद, जिला जयपुर के बाबत निम्न प्रकार से खातेदारी घोषणा जारी की जाती है :- >>

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह .... फीसदी ...... आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 06 सन 2012 को

जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुहर

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) ...)

मुदई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
			मीजान		
मीजान					

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेंन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner